करंट से मौत का मामला — लापरवाही के करंट ने बुझाया था घर का चिराग, निसर्ग वाटर पार्क मालिक, मैनेजर समेत तीन बने आरोपी

पूर्व तहसीलदार पर गैर इरादतन हत्या की एफआईआर दर्ज

जबलपुर। बरेला थाना अंतर्गत बरगी मार्ग के समीप नेंगई सिरौरा स्थित निसर्ग वॉटर फॉल में 24 को स्वीमिंग पूल में लगे स्लाइडर के पोल में अचानक करंट आने से हुई युवक की मौत के मामले में पुलिस ने पूर्व तहसीलदार-संचालक एवं मैनेजर समेत तीन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जांच में पाया गया कि दौड़ रहे लापरवाही के करंट से घर का चिराग बुझा था। जिम्मेदारों को हादसे के पहले से करंट की जानकारी थी। यहां तक की कटे फटे तारों की भी खबर थी लेकिन जिम्मेदारों ने अनदेखी बरती जिसके चलते हादसा हुआ।

विदित हो कि रांझी निवासी नीरज मेहरा रविवार को अपने दोस्तों मोहनिया सुभाष नगर निवासी साजन विश्वकर्मा (20), अभिषेक सेन और विनीत विश्वकर्मा के साथ दोपहर निसर्ग रिसोर्ट घूमने पहुंचा था। साजन निजी काम करता था, उसका रविवार को अवकाश था। इसके चलते वह घूमने जाने के लिए तैयार हो गया। रिसोर्ट पहुंचने के बाद सभी ने टिकट लेकर स्वीमिंग पूल में प्रवेश किया था और पहले एक पूल में स्नान किया था इसके बाद वे दूसरे पूल की ओर जा रहे थे। इसी दौरान स्लाइडर के नीचे लगे लोहे के पोल से साजन का हाथ टकरा गया था। पोल में करंट होने से उसे जोरदार झटका लगा था और वह मौके पर ही गिर पड़ा था उसे घायल देखकर दोस्त तुरंत मदद के लिए दौड़े। रिसोर्ट प्रबंधन से एंबुलेंस के लिए बोला था। उन्होंने मदद नहीं की तो दोस्त मोटरसाइकिल से साजन को बरेला के एक अस्पताल तक लेकर गए थे जहां से उसे रेफर कर दिया गया था। विक्टोरिया अस्पताल पहुंचने पर साजन ने दम तोड़ दिया था। आरोप यह भी था कि रिसोर्ट में सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरती गई। मौके पर आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी।

तार कटे थे, करंट की खबर थी, बेपरवाह बने थे जिम्मेदार

विवेचक वीरेन्द्र सिंह उईके ने बताया कि उक्त वॉटर फॉल पूर्व तहसीलदार विवेक त्रिपाठी का है। जिसका मैनेजर मनीष पटेल है। जबकि यहां घूमने पहुंचने वालों की पर्ची नीलेश पटेल काटता था। अब तक की जांच में लापरवाही सामने आई। स्लाइडर के नीचे लगे लोहे के पोलके आसपास तार कटे हुए थे। करंट फैला हुआ था यहां घूमने पहुंचे लोगों ने भी जिम्मेदारों को करंट की जानकारी दी थी। इसके बाद बावजूद भी सुधार कार्य नहीं किया गया। जिम्मेदारों ने लापरवाही बरती। सुधार काम नहीं कराया सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। जिसके चलते हादसा हुआ। मामले की जांच के बाद मालिक, मैनेजर, पर्ची काटने वाले के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।

सुरक्षा खामियों के साथ गड़बड़झाला, हेराफेरी पर पार्क, रिसॉर्ट, होटल हुआ सील

हादसे के बाद 25 मई को प्रशासन की संयुक्त टीमों ने पूर्व तहसीलदार विवेक त्रिपाठी केमाढ़ोताल स्थित सुकून होटल बी एन्ड बी एवं घाना स्थित सुकून रिसॉर्ट में छापेमारी की थी। इस दौरान गड़बड़ियां एवं अनियमितताएं मिली थी। जिसके बाद दोनों को सील कर दिया गया है। सुकून होटल बी एन्ड बी आवासीय मद की भूमि थी जिसका व्यावसायिक उपयोग करने हो रहा था इसके अलावा होटल संचालन संबंधी अनुमति और फायर एनओसी नहीं थी। इसी प्रकार बरेला स्थित निसर्ग रिसॉर्ट को भी सील कर दिया गया है। माढ़ोताल खसरा नंबर 51/2/5 की जिस 6 हजार 570 वर्गफुट भूमि पर सुकून होटल बी एन्ड बी संचालित है, वह गौतम हिरानी, आशा देवी हिरानी और गोविन्द हिरानी (प्रत्येक का हिस्सा 2 हजार 190 वर्गफुट) के नाम भूमि स्वामी हक में दर्ज है। इस भूमि पर मकान निर्मित है व अभिलेख में आवासीय मद में व्यपवर्तित है, जबकि इसका उपयोग व्यावसायिक रूप में किया जा रहा है। होटल संचालन सबंधी अनुमति पत्र, फायर एवं अन्य दस्तावेज भी नहीं प्रस्तुत किये जा सके। होटल में सुरक्षा मानकों उपयोग नहीं किया जा रहा था। अग्निशमन यंत्र भी नहीं पाये गये थे आपतकालीन निकासी की व्यवस्था भी इस होटल में नहीं थी। निसर्ग रिसॉर्ट में केवल आंशिक भाग ही डायवर्टेड पाया गया था। रिसॉर्ट संचालक के पास फायर एनओसी नहीं थी और अग्निशमन के लिए भी कोई व्यवस्था भी नहीं पाई गई थी।

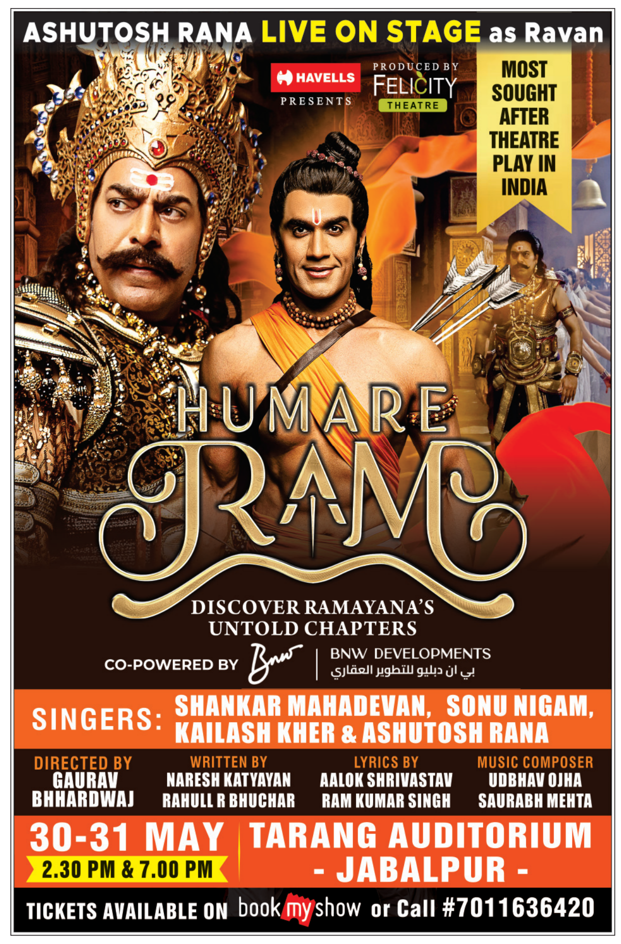

बिजली चोरी के मामलों में मीटर रीडरों की मिलीभगत, एक माह में 6 हुए ब्लैकलिस्ट

जबलपुर। शहर में पिछले दिनों बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कनेक्शनों में बिजली चोरी के मामले सामने आए हैं। इस पूरे मामले की समीक्षा के दौरान यह बात खुलकर प्रकाश में आई है कि संबंधित क्षेत्रों में तैनात कुछ मीटर रीडर भी इस गड़बड़ी में शामिल हैं। कंपनी के बिजली लीड्स के माध्यम से मीटर रीडिंग में अनियमितता की लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसने इस मिलीभगत की आशंका को और मजबूत कर दिया। जब बिजली कंपनी के अधिकारी जांच करने मौके पर पहुंचे, तो कई स्थानों पर भारी अनियमितताएं पाई गईं। चौंकाने वाली बात यह रही कि कुछ उपभोक्ताओं के परिसर में स्मार्ट मीटर सही तरीके से काम कर रहे थे,

इसके बावजूद अकारण ही कुछ दिन पहले उनके मीटर बदल दिए गए। इस गंभीर मामले को देखते हुए जबलपुर शहर के अधीक्षण अभियंता संजय अरोरा ने वृत्त कार्यालय में शहर के सभी संभागों के लगभग 150 मीटर रीडरों की एक महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें पांचों संभाग के कार्यपालन अभियंता और अन्य अधिकारी गूगल मीट के माध्यम से जुड़े। बैठक के दौरान पश्चिम संभाग के आईटी मैनेजर अशोक हरदाहा को मीटर रीडिंग की सही तरीके से समीक्षा नहीं करने पर नोटिस जारी किया गया। इसके साथ ही पूर्व संभाग के मीटर रीडर सुमित दुबे की शिकायत पर दो महीने तक कार्रवाई न करने वाले कनिष्ठ यंत्री वरुण दर्वे को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मई माह में कुल 6 मीटर रीडरों को ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है। अधीक्षण अभियंता संजय अरोरा ने बैठक के दौरान सभी संभागों के मीटर रीडरों से आमने-सामने चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि शहर के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर एम्ब्रायडरी, आलमारी कारखाने और ई-रिक्शा चार्जिंग में बिजली चोरी पकड़ी गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि क्षेत्र में काम करने वाले मीटर रीडरों को अपने इलाके में हो रही इतनी बड़ी चोरियों की भनक न हो। अधिकारियों ने सभी मीटर रीडरों को एक पर्ची दी और उस पर अपने क्षेत्र के बड़े बिजली चोरों के नाम लिखकर जमा करने को कहा। इसके साथ ही जिन्हें सबके सामने जानकारी देने में हिचक हो रही थी, उन्हें एक और अवसर दिया गया है।

5 साल से एक ही जगह जमे मीटर रीडर बदलेंगे, लापरवाहों पर होगी एफआईआर

बैठक में बिजली कंपनी ने कड़ा रुख अपनाते हुए प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी कर ली है। अधिकारियों ने सभी कार्यपालन अभियंताओं से ऐसे मीटर रीडरों की विस्तृत जानकारी मांगी है जो पिछले 5 साल या उससे अधिक समय से एक ही क्षेत्र में कार्यरत हैं। इन सभी पुराने जमे हुए मीटर रीडरों को जल्द ही दूसरे क्षेत्रों या संभागों में ट्रांसफर किया जाएगा। विभाग ने साफ किया है कि मई के महीने में ही लापरवाही और गड़बड़ी करने वाले 4 मीटर रीडरों को ब्लैकलिस्ट किया गया था, जबकि आज समीक्षा बैठक के दौरान 2 और मीटर रीडरों को तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। आने वाले दिनों में शहर के उन सभी इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा जहां लाइन लॉस यानी बिजली का नुकसान सबसे ज्यादा है। यदि इस जांच में किसी भी मीटर रीडर की मिलीभगत पाई जाती है, तो उसे नौकरी से हटाने के साथ-साथ मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।

कनिष्ठ यंत्री को कारण बताओ नोटिस लापरवाही बर्दाश्त नहीं

समीक्षा के दौरान पूर्व संभाग के मीटर रीडर सुमित दुबे ने अधिकारियों के सामने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ओमती, भरतीपुर और उड़िया मोहल्ला में लगभग 400 ऐसे उपभोक्ता हैं जो मीटर रीडिंग लेने से रोकते हैं और कर्मचारियों को काम नहीं करने देते। इस संबंध में उन्होंने बहुत पहले ही अपने संबंधित कनिष्ठ यंत्री वरुण दर्वे को पूरी जानकारी लिखित में दे दी थी। इसके बावजूद लगभग दो माह का समय बीत जाने के बाद भी कनिष्ठ यंत्री द्वारा इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस घोर लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए अधीक्षण अभियंता ने कनिष्ठ यंत्री वरुण दर्वे को कारण बताओ नोटिस थमा दिया है। बिजली विभाग ने सभी कर्मचारियों को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा है कि वे अपने क्षेत्रों में हो रही चोरी की सूचना तुरंत सीनियर अधिकारियों को दें, अन्यथा जांच में दोषी पाए जाने पर सारी जिम्मेदारी उनकी खुद की होगी।

मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखा बुजुर्ग से 14.94 लाख ऐंठे

आपके खाते में देशविरोधी पैसा आया है कहते हुए लगाई चपत, एफआईआर दर्ज

जबलपुर। सिविल लाइन निवासी एक बुजुर्ग को साइबर ठग ने स्वयं को जांच एजेंसी का अधिकारी बताते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 14,94,000 की मोटी रकम ऐंठ ली। साइबर ठग ने पीड़ित को डराया था कि उनके खाते में देशविरोधी पैसा आया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक, सिविल लाइन स्थित अप्सरा अपार्टमेंट के निवासी राफेल जैकब (61) को अज्ञात साइबर ठग ने फोन किया। कॉल करने वाले ने बेहद पेशेवर अंदाज में बात करते हुए कहा कि उनके नाम पर केनरा बैंक में एक

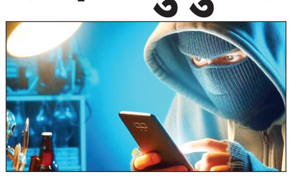

फर्जी खाता संचालित हो रहा है। ठग ने पीड़ित को डराया कि इस खाते के जरिए बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, जिसकी जांच देश की बड़ी एजेंसियां कर रही हैं।

जेल भेजने की धमकी, रकम ऑनलाइन कराई ट्रांसफर

जालसाज ने कानूनी कार्रवाई और तुरंत गिरफ्तारी का खौफ पैदा कर बुजुर्ग को मानसिक दबाव में ले लिया।

उन्होंने केस रफा-दफा करने और खुद को बेगुनाह साबित करने के नाम पर पीड़ित से सरकारी खातों के नाम पर पैसे जमा करने को कहा। घबराहट में आकर राफेल जैकब ने बदमाशों के बताए बैंक खातों में कुल 14 लाख 94 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। रकम हाथ लगते ही आरोपियों ने अपने फोन बंद कर दिए। ठगी का अहसास होने पर पीड़ित ने तुरंत सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने बुधवार को अज्ञात के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर पतासाजी शुरू कर दी है।

बैंक खातों की खंगाली जा रही डिटेल

पुलिस ने इस हाईप्रोफाइल ठगी की जांच के लिए साइबर सेल की मदद ली है। जिस केनरा बैंक खाते का जिक्र ठगों ने किया था और जिन खातों में पीड़ित ने पैसे ट्रांसफर किए हैं, उनकी डिटेल निकाली जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि संदिग्ध बैंक खातों को होल्ड (फ्रीज) कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ताकि पीड़ित की रकम वापस मिल सके।

वनरक्षक पर हमला, दांत से काटा, वर्दी फाड़ी

सरकारी जमीन पर फेंसिंग कराते हुए उपद्रव, प्रकरण दर्ज

जबलपुर। चरगवां थाना थाना अंतर्गत सालीबाड़ा में वन विभाग की जमीन पर तार फेंसिंग करा रहे वनरक्षक पर एक ग्रामीण ने लात-घूसों से हमला कर दिया। आरोपी ने झूमाझपटी के दौरान वनरक्षक की कलाई पर दांत से काट लिया और उनकी शासकीय वर्दी भी फाड़ दी। पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक योगीश पाठक (36) निवासी ग्राम भितरी सीधी, पिछले 7 वर्षों से बाड़ीबाड़ा बीट में पीड़ित वनरक्षक के पद पर पदस्थ हैं। शासन की अभिरल नर्मदा योजना के तहत वन भूमि पर वृक्षारोपण के लिए तार फेंसिंग का कार्य चल रहा था। वनरक्षक सुबह करीब 10:30 बजे मजदूरों और सहयोगी सुशील कुमार वर्मा के साथ काम करा रहे थे, तभी सालीबाड़ा निवासी मुरारी गौंड़ वहां पहुंचा। आरोपी मुरारी ने वन विभाग की जमीन को अपनी बताते हुए काम रोकने की कोशिश की औरविवाद शुरू कर दिया। जब वनरक्षक ने विरोध किया, तो आरोपी ने झूमाझपटी करते हुए हाथ-मुक्कों से मारपीट शुरू कर दी। मारपीट से वनरक्षक के हाथ, पैर और कमर में चोटें आई हैं। हमले के दौरान आरोपी ने वनरक्षक की कलाई पर दांत से बुरी तरह काट लिया और उनकी वर्दी फाड़ दी आरोपी वारदात के बाद दोबारा फेंसिंग करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग निकला। पुलिस ने वनरक्षक योगीश पाठक की रिपोर्ट पर आरोपी मुरारी गौंड़ के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया

सिग्नलिंग आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी

665 करोड़ रुपए की लागत से होगा कार्य

जबलपुर, नवभारत। भारतीय रेल ने रेल सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा परिचालन दक्षता में वृद्धि के उद्देश्य से पश्चिम मध्य रेल के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण सिग्नलिंग आधुनिकीकरण कार्यों को स्वीकृति प्रदान की है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत वर्तमान पैनल इंटरलॉकिंग प्रणाली को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली से प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा ट्रैक सर्किट के समानांतर मल्टी सेक्शन डिजिटल एक्सल काउंटर प्रणाली स्थापित की जाएगी। इन दोनों परियोजनाओं की कुल स्वीकृत लागत 665.14 करोड़ है, जिससे पश्चिम मध्य रेल के 43 स्टेशनों को लाभ मिलेगा।

पैनल इंटरलॉकिंग प्रणाली के साथ होगा कार्य

स्वीकृत कार्यों के अंतर्गत इटारसी-जबलपुर रेलखंड के 19 स्टेशनों पर पैनल इंटरलॉकिंग प्रणाली को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एवं ट्रैक सर्किट के समानांतर एमएसडीएसी प्रणाली से प्रतिस्थापित करने का कार्य 271.31 करोड़ की लागत से किया जाएगा। इसी प्रकार जबलपुर-मानिकपुर रेलखंड के 24 स्टेशनों पर भी पैनल इंटरलॉकिंग प्रणाली के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एवं ट्रैक सर्किट के समानांतर प्रणाली स्थापित करने का कार्य 393.83 करोड़ की लागत से स्वीकृत किया गया है।

सुरक्षा में होगी वृद्धि

ये परियोजनाएं भारतीय रेल द्वारा उच्च घनत्व नेटवर्क एवं अत्यधिक उपयोग वाले नेटवर्क मार्गों पर शेष स्टेशनों में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग उपलब्ध कराने की व्यापक आधुनिकीकरण योजना का हिस्सा हैं। इन मार्गों पर पहले से ही कवच ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग तथा सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल जैसी उन्नत सुरक्षा प्रणालियों के क्रियान्वयन की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से रेल संचालन की सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, सिग्नलिंग प्रणालियों की विश्वसनीयता बेहतर होगी, परिचालन क्षमता एवं लाइन क्षमता में वृद्धि होगी तथा रखरखाव संबंधी आवश्यकताओं में कमी आएगी। साथ ही व्यस्त रेलखंडों पर ट्रेनों का संचालन अधिक सुचारु एवं कुशलतापूर्वक किया जा सकेगा।

सीएमएचओ ने जिले की समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं में संलग्नीकरण समाप्त किये

जारी किए गए आदेश

नवभारत,जबलपुर। सीएमएचओ डॉ नवीन कोठारी ने जिले की समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं में संलग्नीकरण समाप्त करने के आदेश जारी किए हैं। विदित हो कि जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में कलेक्टर के निर्देश पर समिति के द्वारा निर्णय लिया गया कि जबलपुर जिले के अतंर्गत समस्त स्वास्थ्य ईकाईयों में कार्यरत (चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टॉफ, नर्सिंग संवर्ग एवं अन्य तृतीय / चतुर्थ) नियमित, संविदा एवं आर.के.एस. कर्मचारीयों के जितने संलग्निकरण (अटॅचमेंट) है, उन्हें तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए अपने मूल पदस्थापना स्थल पर कार्य संपादित किया जाए।

उक्त आदेश के अनुपालन में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा एक आदेश निकाला है जिसमें समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों का अटेचमेंट निरस्त किया जाता हैं एवं निर्देशित किया जाता हैं कि अपनी उपस्थिती मूल पद स्थापना स्थल पर तत्काल देना सुनिश्चित करें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ नवीन कोठारी ने समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं के प्रभारियों को आदेशित किया है कि आपकी संस्था में जितने लोग अटैचमेंट पर है कार्य कर रहे हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से उनकी मूल पदस्थापना हेतु कार्य मुक्त कर जानकारी स्थानीय कार्यालय को भेजें।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57